संख्या- 87/2026/407/35-1-2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
राज्य नियोजन,
राज्य नियोजन संस्थान(नवीन प्रभाग)
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 27 अप्रैल, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में जनशक्ति नियोजन प्रभाग के राजस्व पक्ष एवं पूँजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि को निवर्तन पर रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-040 राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक-''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-फैमिली आई०डी०-एक परिवार एक पहचान-42-अन्य व्यय'' हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-1900.00 लाख(रुपए उन्नीस करोड़ मात्र), अनुदान संख्या- 040 राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक- "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-04-जीरो पावर्टी -उत्तर प्रदेश अभियान-42- अन्य व्यय " हेतु प्राविधानित धनराशि रु0-22700.00 लाख (रु0 दो सौ सत्ताईस करोड़ मात्र) तथा अनुदान संख्या- 040 पूँजी लेखा के लेखाशीर्षक- "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-04-जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश-अभियान-24-वृहत निर्माण कार्य" हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 2500.00 लाख(रु० पच्चीस करोड़ मात्र) सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को वहन करने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. विभिन्न मदो के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्डस आफ फाइनेंनसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. उक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखा जाना मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिए गए निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिए गए निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 87/2026/407(1)/35-1-2026 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ को उनके प्रत्र संख्या 19/28/7-353/18315/ज०नि०प्र०/2023 टी०सी०-1 दिनांक 16-4-2026 के संदर्भ में।
5. आहरण वितरण अधिकारी, नवीन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान उ०प्र० लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ०प्र० सचिवालय।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उत्तर प्रदेश सचिवालय ।
8. गार्डफाइल।

आज्ञा से.

(राजेन्द्र प्रसाद)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या—87/2026/407/35-1-2026 दिनांक: 27 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

विवरण-1

अनुदान संख्या-040 राजस्व लेखा

"लेखाशीर्षक- "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-फैमिली आई०डी० एक परिवार एक पहचान-42-अन्य व्यय"

(रुपये लाख में)

कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	2	3
03	फैमिली आई०डी०- एक परिवार एक पहचान	1900.00

(रूपये उन्नीस करोड़ मात्र)

विवरण-2

अनुदान संख्या-040 राजस्व लेखा

"लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-04-जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश अभियान-42-अन्य व्यय''

(रुपये लाख में)

कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	2	3
04	जीरो पावर्टी- उत्तर प्रदेश अभियान	22700.00

(रूपये दो सौ सत्ताईस करोड़ मात्र)

विवरण-3

अनुदान संख्या-040 पूंजी लेखा

"लेखाशीर्षक-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन-051-निर्माण-04-जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश अभियान-24-वृहत् निर्माण कार्य''

(रुपये लाख में)

कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	2	3
04	जीरो पावर्टी- उत्तर प्रदेश अभियान	2500.00

(रूपये पच्चीस करोड़ मात्र)

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in